

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी क्षेत्र, इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2008/11.08.2008

आयोग कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि-25.09.2008

राज्य सेवा परीक्षा - 2008

प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 11.01.2009 (रविवार)

अ. प्रथम प्रश्न पत्र - सामान्य अध्ययन प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक

ब. द्वितीय प्रश्न पत्र - ऐच्छिक विषय अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक

1 :- मध्यप्रदेश के असाधारण राजपत्र दिनांक 18 जुलाई 2008 में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल द्वारा प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 के नियम-3 (1) में उल्लिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11.01.2009 को आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस परीक्षा के नियम, कम्प्यूटराइज्ड आवेदन पत्र सहित दिनांक 18.08.2008 के 'रोज़गार और निर्माण' में प्रकाशित किए जा रहे हैं।

2 :- राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 के परिशिष्ट : एक में परीक्षा योजना, परिशिष्ट : दो में प्रारम्भिक

परीक्षा के पाठ्यक्रम, परिशिष्ट : तीन में मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम का उल्लेख है तथा परिशिष्ट : चार में परीक्षा शुल्क से संबंधित नियम उल्लिखित हैं। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट पांच- में आर्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तिकाओं के उपयोग संबंधी निर्देश उल्लिखित हैं। आवेदन-पत्र भरने के पूर्व आवेदक नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह (In eligible) पाया जाता है अथवा उनके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी उम्मीदवारी/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

3 :- इस परीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए चयन किया जाएगा। वर्गवार पदों की संख्या का निर्धारण शासन के विभागों में संधारित रोस्टर के अनुसार किया गया है। भरी जाने वाली रिक्तियां निम्नानुसार हैं:-

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से विकलांगों के लिये आरक्षित पद	कुल रिक्तियों में से भू.पु. सैनिकों के लिये आरक्षित पद	कुल	वेतनमान
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	उप-जिलाध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग	05	04	01	02	01	01	-	-	-	-	12	8000-275-13500/-
2.	सहायक संचालक मध्यप्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा वित्त विभाग	20	06	08	06	06	02	02	02	04 अना. 01, महिला अजा. 01 पुरुष अपिच. 01 पुरुष श्रवण/अस्थिबाधित	-	40	8000-275-13500/-
3.	वाणिज्यिक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग	03	06	-	05	01	02	-	01	01 अपिच. 01 पुरुष अस्थिबाधित	-	14	8000-275-13500/-
4.	जिला आवकारी अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग	02	01	01	-	-	-	-	-	-	-	04	8000-275-13500/-
5.	जिला पंजीयक वाणिज्यिक कर विभाग	06	01	03	02	02	-	01	01	-	01 अना. 01 पुरुष	12	8000-275-13500/-
6.	सहायक संचालक जनसम्पर्क विभाग	04	-	01	-	01	-	-	-	अना. 01 महिला/पुरुष अस्थिबाधित	-	05	8000-275-13500/-
7.	सहायक संचालक मध्यप्रदेश वीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षा वित्त विभाग	06	03	03	01	01	-	-	-	01 अजा. पुरुष अस्थिबाधित	-	13	8000-275-13500/-
8.	सहायक संचालक/जिला आपूर्ति अधिकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	03	01	-	01	01	-	-	-	-	-	05	8000-275-13500/-
9.	जिला संयोजक आदिम जाति, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	8000-275-13500/-
10.	सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग	-	-	05	05	-	-	02	02	-	-	10	8000-275-13500/-
11.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	-	06	10	-	-	02	03	-	01 अजजा. महिला अस्थिबाधित/श्रवण बाधित मुक नहीं	-	16	6500-200-10500/-
12.	विकासखंड अधिकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	08	04	09	01	02	01	03	-	01 अजजा. पुरुष अस्थिबाधित/श्रवण बाधित	-	22	5500-175-9000/-
13.	बाल विकास परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग	08	02 +	03 +	02 +	02	-	01 +	-	-	-	33	5500-175-9000/-
			05 वैकलांग	07 वैकलांग	06 वैकलांग	-	01 वैकलांग	02 वैकलांग	02 वैकलांग				
14.	क्षेत्र संयोजक/विकासखंड अधिकारी	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	01	5500-175-9000/-
15.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	-	-	18	-	-	-	05	-	-	-	18	5500-175-9000/-
16.	सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख राजस्व विभाग	27	06	10	09	11	03	04	03	05 अना. 02 अजा. 01 अपिच. 01 महिला/पुरुष अस्थिबाधित/दृष्टिबाधित/अन्य स्वरूप के विकलांग	-	52	5000-150-8000/-

स.क्र.	पद तथा विभाग का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों में से वर्गवार महिलाओं के लिये आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से विकलांगों के लिये आरक्षित पद	कुल रिक्तियों में से भू.पू. सैनिकों के लिये आरक्षित पद	कुल	वेतनमान
		अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17.	आवकारी उपनिरीक्षक (कार्यपालक) वाणिज्यिक कर विभाग	09	05	04	14	03	01	01	04	-	04 अना. 01 पुरुष अजा. 01 पुरुष अपिव. 01 पुरुष	32	4500-125-7000/-
18.	वाणिज्यिक कर निरीक्षक तृतीय श्रेणी कार्यपालक वाणिज्यिक कर विभाग	16	04	-	14	05	01	-	04	03 अजा. 03 01 महिला 02 पुरुष अस्थिवाधित	03 अजा. 03 पुरुष	34	4500-125-7000/-
19.	सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी तृतीय श्रेणी कार्यपालक सहकारिता विभाग	-	-	-	08 वैकलांग	-	-	-	02	-	01 अपिव. 01	08	4500-125-7000/-
20.	उप पंजीयक तृतीय श्रेणी कार्यपालक वाणिज्यिक कर विभाग	32	08	20	04	10	02	06	01	03 अना. 02 01 महिला 01 पुरुष अजा. 01 01 पुरुष	06 अना. 03 01 महिला 02 पुरुष अजा. 01 01 पुरुष अजा. 02 01 पुरुष 01 महिला	64	4500-125-7000/-
21.	उप जेलर तृतीय श्रेणी कार्यपालक जेल विभाग	04	02	05	02	01	-	01	-	-	-	13	4500-125-7000/-

कुल - 409

टीप:- तालिका में दर्शाए गये निर्धारित वेतनमान में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

अत्यंत महत्वपूर्ण:- आवेदक अपना आवेदन पत्र भरने के पहले विज्ञापन में दिये गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांगता, विषय तथा केंद्र आदि को किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा। इस संबंध में आवेदक आयोग से कोई भी पत्र व्यवहार न करें। यदि जानकारी परिवर्तन के संबंध में आवेदक से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आयोग उस पर कोई विचार नहीं करेगा और न ही इस विषय में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार करेगा। ऐसे आवेदन आयोग में नस्तीबद्ध किये जायेंगे। आवेदक द्वारा भरी गई श्रेणी के आधार पर ही उसका परिणाम घोषित किया जाएगा। आवेदक ने जिस श्रेणी में आवेदन किया है उसी को मुख्य परीक्षा हेतु आधार माना जाएगा। श्रेणी न भरने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा।

दिनांक 18.08.2008 के रोजगार और निर्माण में प्रकाशित कम्प्यूटराईज्ड आवेदन पत्र की मूल प्रति पर ही आवेदन पत्र स्वीकार किये जाएंगे। आवेदन पत्र की फोटो प्रति मान्य नहीं होगी।

4. यदि किसी भी अनारक्षित अथवा आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिये उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में चयन से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद आगामी वर्ष के लिये अग्रणीत (Carry Forward) नहीं किये जायेंगे। ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरे जा सकेंगे।

5. पदों की संख्या शासन से प्राप्त सूचना के आधार पर परिवर्तनीय रहेगी। विज्ञापित पदों के अलावा नियम-1 में उल्लिखित सेवाओं/पदों की रिक्तियों की सूचना चयन के पूर्व किसी भी चरण में शासन से सूचना प्राप्त होने पर ऐसी रिक्तियों इस विज्ञापन के अन्तर्गत शुद्ध पत्र द्वारा प्रकाशित की जायेंगी। परन्तु ऐसे रिक्त पदों के लिए पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये जायेंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदक ही पात्र रहेंगे।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पदों के विरुद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के रूप में विचारित किये जायेंगे। अतः मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के इस श्रेणी के आवेदक स्वयं को अनारक्षित श्रेणी में दर्शाएँ। जिन पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये कोई पद आरक्षित नहीं है उन मामलों में आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अनारक्षित उम्मीदवारों के साथ अनारक्षित रूप में विचारित किया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रॉमिलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे।

7. उम्मीदवार नियुक्ति के लिये तभी पात्र होगा, जबकि शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवाएँ नियम, 1961 के नियम 6 में दिनांक 10.3.2000 को किए गए संशोधन के अनुसार-

- अ. पुरुष उम्मीदवार 21 वर्ष की आयु तथा महिला उम्मीदवार 18 वर्ष की आयु के पूर्व विवाहित नहीं हों।
ब. 26 जनवरी, 2001 के बाद उम्मीदवार की तीसरी संतान न हो।

8. परीक्षा योजना :-

1. संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में दो क्रमिक चरण हैं-

- (1) मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रश्न); और
(2) सेवाओं तथा पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिये उम्मीदवारों के चयन हेतु राज्य सेवा मुख्य परीक्षा (लिखित तथा साक्षात्कार)।

परीक्षा की योजना परिशिष्ट एक, प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम परिशिष्ट दो तथा मुख्य परीक्षा के

पाठ्यक्रम परिशिष्ट तीन के अधीन दिये अनुसार होंगे। अभी केवल प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं।

2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प प्रश्न) के दो प्रश्न पत्र होंगे और नीचे दी गई योजनानुसार प्रश्न पत्र अधिकतम 450 अंकों के होंगे।

प्रश्न पत्र (अनिवार्य)	सामान्य अध्ययन	2 घंटे	150 अंक
द्वितीय प्रश्न पत्र	पैरा-3 में दिये गये ऐच्छिक प्रश्नपत्रों में से एक विषय चुना जायेगा।	2 घंटे	300 अंक

यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण (स्क्रीनिंग टेस्ट) के रूप में ली जाती है और ऐसे उम्मीदवारों द्वारा जिन्हें मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्ह घोषित किया जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों की गणना, उनका अंतिम योग्यता क्रम निर्धारित करने में नहीं की जायेगी।

3. प्रारंभिक परीक्षा के लिये ऐच्छिक विषयों की सूची-

कोड संख्या	विषय	कोड संख्या	विषय
01	कृषि	13	अर्थशास्त्र
02	पशुपालन तथा पशु चिकित्सा विज्ञान	14	भारतीय इतिहास
03	प्राणी शास्त्र	15	भूगोल
04	वनस्पति शास्त्र	16	भू-विज्ञान
05	रसायन शास्त्र	17	राजनीति शास्त्र
06	भौतिकी	18	लोक प्रशासन
07	गणित	19	समाज शास्त्र
08	सांख्यिकी	20	अपराध शास्त्र एवं न्यायिक विज्ञान
09	सिविल इंजीनियरिंग	21	मनोविज्ञान
10	विद्युत इंजीनियरिंग	22	दर्शन शास्त्र
11	यांत्रिकी इंजीनियरिंग	23	विधि
12	वाणिज्य		

4. (1) दोनों प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिये चार सम्भाव्य उत्तर होंगे जिन्हें अ, ब, स और द में समूहीकृत किया जायेगा, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित सही माने गये, अ, ब, स या द में से केवल एक पर चिन्ह लगाएँ।

(2) प्रथम प्रश्न पत्र (अनिवार्य विषय- सामान्य अध्ययन) में 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 01 अंक होगा और यह 2 घंटे की समयावधि का होगा। द्वितीय प्रश्नपत्र में 120 प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न 2.5 अंक का होगा और यह दो घंटों की समयावधि का होगा।

(3) ऐच्छिक विषयों के लिये पाठ्यक्रम की विषय वस्तु उपाधिस्तर की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन तथा ऐच्छिक विषयों के विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट-दो में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

(4) इंजीनियरिंग विषयों को छोड़कर प्रत्येक प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी में होगा। इंजीनियरिंग विषयों के प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी में होंगे।

5. मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दर्शित की गई सेवा तथा पदों के

विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या से लगभग 15 गुना होगी। केवल वे ही उम्मीदवार, जिन्हें आयोग ने विशिष्ट विज्ञापन के अधीन प्रारंभिक परीक्षा में अर्ह घोषित किया हो, मुख्य परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये पात्र होंगे। मुख्य परीक्षा की पात्रता हेतु उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा के प्रत्येक विषय में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्तजनों हेतु ये न्यूनतम अर्हकारी अंक 30 प्रतिशत होंगे।

9. प्रारंभिक परीक्षा के जिला केन्द्र -

परीक्षा केन्द्र	कोड नंबर	परीक्षा केन्द्र	कोड नंबर
इन्दौर	01	मण्डला	26
उज्जैन	02	मंदसौर	27
उमरिया	03	पुरैना	28
कटनी	04	रतलाम	29
खण्डवा	05	राजगढ़	30
खरगोन	06	रायसेन	31
ग्वालियर	07	रीवा	32
गुना	08	विदिशा	33
छतरपुर	09	शहडोल	34
छिंदवाड़ा	10	शाजापुर	35
जबलपुर	11	शिवपुरी	36
झाबुआ	12	श्यापुर	37
टीकमगाढ़	13	सतना	38
दतिया	14	सागर	39
दमोह	15	सिवनी	40
देवास	16	सीधी	41
धार	17	सीहोर	42
नरसिंहपुर	18	हरदा	43
नीमच	19	होशंगाबाद	44
पन्ना	20	अशोकनगर	45
बड़वानी	21	बुरहानपुर	46
बालाघाट	22	डिण्डोरी	47
बैतुल	23	अनूपपुर	48
भिण्ड	24	अलीराजपुर	49
भोपाल	25	सिंगरौली	50

नोट:- आवेदक परीक्षा के जिला केन्द्र कोड सावधानीपूर्वक देखकर भरें। परीक्षा जिला केन्द्र किसी भी स्थिति में बदला नहीं जाएगा।

आयोग उपलब्ध स्थान के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा जिला केन्द्र आवंटित करेगा। आयोग के लिए यह आवश्यक एवं बंधनकारक नहीं है कि आवेदक द्वारा मांगा गया परीक्षा केन्द्र ही आवंटित किया जाये। परीक्षा केन्द्रों की क्षमता एवं प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से आयोग परीक्षा केन्द्र आवंटित करेगा। आयोग निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में कमी या वृद्धि भी कर सकता है। उम्मीदवारों को नोट करना चाहिए कि केन्द्र परिवर्तन हेतु उनके आवेदन पत्रों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध किया जाएगा।

10. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-

उम्मीदवार के पास, भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डलों के अधिनियम द्वारा निर्गमित/समाविष्ट विश्वविद्यालयों में से किसी विश्वविद्यालय की या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी शैक्षणिक संस्था की उपाधि होनी चाहिए अथवा उसके समकक्ष अर्हताएं होनी चाहिये।

टीप- (1) ऐसे उम्मीदवार, जो किसी ऐसी परीक्षा में सम्मिलित हुए हों, जिसमें उत्तीर्ण होने से वे आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से अर्ह हो जाएंगे किन्तु जिन्हें परिणाम की जानकारी नहीं हुई है तथा ऐसे उम्मीदवार जिनका ऐसी आगामी अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित होना आशयित हो, प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। ऐसे समस्त उम्मीदवारों को जो आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के लिए अर्ह घोषित किये गये हों, मुख्य परीक्षा के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ, अपेक्षित अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची/प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा हेतु जिन आवेदन पत्रों के साथ स्नातक उपाधि/समकक्ष अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची/प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होंगे उन आवेदनों को अस्वीकार किया जायेगा।

टीप- (2) ऐसे उम्मीदवार भी, जिनके पास ऐसी व्यावसायिक तथा तकनीकी अर्हताएं हों, जो राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी उपाधि के समकक्ष हों, परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे।

11.- आयु की गणना एवं छूट - आयु की गणना **01 जनवरी, 2009** के संदर्भ में की जायेगी।

आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूट :-

(1) आवकारी विभाग के अंतर्गत जिला आवकारी अधिकारी एवं आवकारी उप निरीक्षक पद तथा जेल विभाग के अंतर्गत उप जेलर के पद हेतु न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार होगी:-

पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
जिला आवकारी अधिकारी	21 वर्ष	25 वर्ष
आवकारी उप निरीक्षक	20 वर्ष	30 वर्ष
उप जेलर	18 वर्ष	30 वर्ष

आयु सीमा में छूट :-

जिला आवकारी अधिकारी-

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- मध्यप्रदेश शासन के स्थायी शासकीय कर्मचारियों की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- अस्थायी शासकीय कर्मचारियों की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह छूट कार्यभारित, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परिशोधन कार्यान्वयन समितियों में नियुक्त व्यक्तियों को भी प्राप्त होगी।
- अधिकतम 3 वर्ष तक : यदि उम्मीदवार छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, तो उसकी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालावधि कम करने के पश्चात् बशर्त कि यह सेवा एक से अधिक बार में की गई हो।
स्पष्टीकरण : पद "छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से घोकत है, ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की या उसकी संघटक इकाइयों में से किसी इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक रहा हो और उसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी की जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो;

- कोई उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्त कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो;

आवकारी उप निरीक्षक-

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय कर्मचारियों की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- अधिकतम 3 वर्ष तक : यदि उम्मीदवार छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, तो उसकी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालावधि कम करने के पश्चात् बशर्त कि यह सेवा एक से अधिक बार में की गई हो।
स्पष्टीकरण : पद "छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से घोकत है, ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की या उसकी संघटक इकाइयों में से किसी इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक रहा हो और उसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी की जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- कोई उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्त कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो;

उप जेलर-

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
- मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी शासकीय कर्मचारियों की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- अधिकतम 3 वर्ष तक : यदि उम्मीदवार छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, तो उसकी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालावधि कम करने के पश्चात् बशर्त कि यह सेवा एक से अधिक बार में की गई हो।
स्पष्टीकरण : पद "छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से घोकत है, ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की या उसकी संघटक इकाइयों में से किसी इकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक रहा हो और उसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी की जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- कोई उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्त कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो;

टीप-

विज्ञापन की कंडिका 11 (2) (व) में उल्लिखित प्रोत्साहन स्वरूप छूटें उक्त 3 पदों हेतु देय होंगी।

आवकारी तथा जेल विभाग के पदों हेतु निर्धारित शारीरिक मापदंड

क्र.	पद का नाम	लिंग	ऊँचाई से.मी. में	सीने का घेरा	
				वर्ग फुलाये से.मी. में	पूर्णतः फुलाने पर से.मी. में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	जिला आवकारी अधिकारी	-	163	84	89
2.	आवकारी उप निरीक्षक	पुरुष	165	81	86
		महिला	152.4	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं
3.	उप जेलर	पुरुष	165	84	-
		महिला	158	सीने का माप अपेक्षित नहीं	सीने का माप अपेक्षित नहीं

(2) आवकारी तथा जेल विभाग के पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु आयु सीमा निम्नानुसार होगी :- उम्मीदवार ने 21 (इक्कीस) वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 30 (तीस) वर्ष की आयु पूरी न की हो परन्तु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3/5/2008/3/1 दिनांक 23 फरवरी, 2008 द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35+3=38 वर्ष नियत की गई है, किन्तु आवकारी विभाग तथा जेल विभाग के प्रशासनिक पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा उनके भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार ही शासित होगी, (विज्ञापन के बिन्दु-11 (1) के अनुसार)

आयु सीमा में छूट :-

ऊपर विहित की गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगी-

(अ) वर्ग विशेष को देय छूट

- अधिकतम पांच वर्ष तक :** यदि कोई उम्मीदवार मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, जो ऐसी जाति या जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, जिसे मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया हो,
- अधिकतम तीन वर्ष तक :** यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित स्थानों से भारतीय मूल का वारसविक स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो-
(1) बर्मा से, जिसने 1 जून, 1963 को या उसके पश्चात् भारत में प्रवास किया हो; या
(2) श्रीलंका से, जिसने 1 नवम्बर, 1964 के पश्चात् भारत में प्रवास किया हो, या
(3) यदि उम्मीदवार तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से वारसविक विस्थापित व्यक्ति हो और जिसने 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की कालावधि के दौरान भारत में प्रवास किया हो,
- अधिकतम 8 वर्ष तक :** यदि उम्मीदवार ऊपर पैरा (2) में उल्लिखित स्वदेश प्रत्यावर्तित या विस्थापित व्यक्ति हो और मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित किए अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तथा मध्यप्रदेश में अधिवासित हो,
- अधिकतम 5 वर्ष तक :** यदि उम्मीदवार अपनी प्रथम नियुक्ति के समय विधवा, तलाकशुदा अथवा परित्यक्ता हो,
- अधिकतम 3 वर्ष तक :** सुरक्षा सेवा कार्यालय के मामले में जो किसी दूसरे देश से हुए युद्ध के दौरान या अशांत क्षेत्र में किसी फौजी कार्यवाही के दौरान नियोग्यता से प्रस्त हो गया और उसके परिणामस्वरूप कर्तव्य से सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;
- अधिकतम 8 वर्ष तक :** यदि उपर्युक्त श्रेणी (5) के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,
- अधिकतम 3 वर्ष तक :** ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो वियतनाम से भारतीय मूल का वारसविक प्रत्यावर्तित (भारतीय पासपोर्ट धारी) व्यक्ति हो तथा साथ ही ऐसा उम्मीदवार, जो वियतनाम में भारतीय दूतावास द्वारा उसे जारी किया गया आपातकाल प्रमाण पत्र धारित कर रहा हो तथा जो वियतनाम में

- भारत में जुलाई, 1975 के पूर्व न आया हो,
- (8) **अधिकतम 8 वर्ष तक** : यदि उपर्युक्त श्रेणी (7) के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,
- (9) **अधिकतम 5 वर्ष तक** : ऐसे भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन्ड आफिसर्स, के मामले में, जिनमें ईसीओ/एस.एस.सी.ओ. शामिल हैं, जिन्होंने परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख से पूर्ववर्ती 1 जनवरी को सैनिक सेवा के कम से कम 5 वर्ष पूरे कर लिये हैं और जिन्हें दुराचरण या अक्षमता अथवा सैनिक सेवा के दौरान हुई शारीरिक अक्षमता या अशक्तता के कारण बर्खास्त या सेवानिवृत्त किए जाने से भिन्न स्थिति में सेवा पूरी करने पर निर्भर किया गया था, (इनमें वे व्यक्ति भी शामिल होंगे जिनकी सेवा अवधि उक्त तारीख से छह मास के भीतर समाप्त होने वाली है।) ;
- (10) **अधिकतम दस वर्ष तक** : यदि उपर्युक्त श्रेणी (9) के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो,
- (11) **कोई उम्मीदवार जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा वशत कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो;**
- (12) मध्यप्रदेश शासन के स्थायी, अस्थायी तथा राज्य के निगम, मण्डल, परिषद, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी (जिसमें महिला कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) के लिये अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष विहित की गई है। उपरोक्त रियायत कार्यभारित कर्मचारियों तथा आकांक्षिता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित/पदस्थापनाओं पर भी लागू होगी। (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें।)
- (13) **अधिकतम 3 वर्ष तक** : यदि उम्मीदवार छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, तो उसकी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष तक की कालावधि कम करने के पश्चात् वशत कि यह सेवा एक से अधिक बार में की गई हो।
- स्पष्टीकरण** : पद "छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी" से धोतक है, ऐसा व्यक्ति जो उस राज्य की या उसकी संघटक इकायों में से किसी इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छह मास की निरंतर कालावधि तक रहा हो और उसे रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने की या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी की जाने के कारण सेवानिवृत्त किया गया हो;
- (14) शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को **द्वितीय श्रेणी** हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तथा **तृतीय श्रेणी** सेवा हेतु 10 वर्ष की छूट रहेगी। न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता होने पर ही विकलांग प्रवर्ग की सुविधा दी जाएगी;
- (15) **अधिकतम 10 वर्ष तक** : मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम 4 के अनुसार समस्त महिला उम्मीदवार (जिसमें मध्यप्रदेश राज्य के बाहर की महिलाएँ भी सम्मिलित हैं) को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (ब) **प्रोत्साहन स्वरूप देय छूट**
- (1) **अधिकतम 2 वर्ष तक** : यदि उम्मीदवार के पास परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन अपने नाम पर ग्रीनकार्ड हो,
- (2) **अधिकतम 5 वर्ष तक** : यदि उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-10-85-3-1, दिनांक 29.6.1985 के अनुसार आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अंतर्जातीय विवाह योजना के अधीन पुस्तकार प्राप्त उच्च जाति का दम्पति हो;
- (3) **अधिकतम 5 वर्ष तक** : यदि उम्मीदवार सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/8/85/3/1, दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के अनुसार "विक्रम अवार्ड" से सम्मानित खिलाड़ी हो,
- टीप-** (i) "अ" 1 से 15 में दशांशिकी गई छूटों के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई आवेदक शासन द्वारा बिन्दु क्रमांक "अ" के अंतर्गत भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ ही प्राप्त होगा।
- टीप-** (ii) "ब" 1 से 3 के अंतर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी। यह बिन्दु 'अ' में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।
- टीप-** (iii) अधिकतम आयु सीमा में छूट राज्य सेवा परीक्षा नियम 6 (3) (ख) में भी वर्णित है यह छूट दो प्रकार की है-
- (एक) वर्ष विशेष की लिये छूट- इसके अंतर्गत राज्य सेवा परीक्षा नियम 6 (3) (ख) की छूट क्रमांक (एक) से (चार) तथा (आठ) से (अठारह) तक की छूटें सम्मिलित हैं।
- (दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूट- इसमें राज्य सेवा परीक्षा नियम 6 (3) (ख) की छूट क्रमांक (पांच) से (सात) सम्मिलित हैं। उपरोक्त केंद्रिका की बिन्दु क्रमांक (अ) में उल्लिखित वर्गों में से यदि कोई आवेदक शासन द्वारा भिन्न-भिन्न वर्गों के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट के लाभ के लिये एक से अधिक आधार रखता है तो उसे अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये निर्धारित छूट का लाभ प्राप्त होगा। बिन्दु क्रमांक (ब) में उल्लिखित प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों के आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार के लिये देय छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दु क्रमांक (अ) में दी गई छूट के अतिरिक्त होगी।
- उक्त छूटों के सिवाय विहित आयु सीमाओं में किसी भी मामले में छूट नहीं दी जाएगी। उम्मीदवारों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आयोग केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा जो मेट्रिक या उच्चतर माध्यमिक शाला परीक्षा प्रमाण पत्र में या उसके समकक्ष समझी गई परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित की गई है। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी के प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, अनिवार्य रूप से संलग्न की जाना चाहिए। इसके अभाव में आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाएगा। आयु से संबंधित अन्य दस्तावेज जैसे जन्मपत्री, शपथ पत्र, नगर निगम सेवा अभिलेखों से लिये गये जन्म संबंधी उद्धरण और इसी प्रकार के अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र में एक बार जन्मतिथि दर्ज हो जाने के बाद उसमें किसी परिवर्तन की किसी मांग पर किसी भी स्थिति में विचार नहीं किया जावेगा एवं ऐसे अभ्यावेदनों को अस्वीकृत किया जाएगा। **प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में दी गई जानकारीयों में भिन्नता पाई जाने पर आवेदन अस्वीकृत किया जा सकेगा।**
- 12. आवेदन कैसे करें:-**
- दिनांक 18.08.2008 से 24.08.2008 के रोजगार और निर्माण** में प्रकाशित राज्य सेवा परीक्षा-2008 के विज्ञापन के साथ कम्प्यूटराईज्ड आवेदन पत्र दिया जा रहा है प्रत्येक आवेदन पत्र पर आवेदन पत्र की क्रमांक अंकित है। आवेदक विज्ञापन के साथ दिये गये मूल आवेदन पत्र में ही आवेदन करें। इस आवेदन पत्र की टिकत/श्याया प्रति मान्य नहीं होगी। रोजगार और निर्माण में विज्ञापन के साथ दिये आवेदन पत्र स्थानीय एजेंट्स के यहां उपलब्ध होंगे। मध्यप्रदेश माध्यम कार्यालय, भोपाल में भी विज्ञापन अंक/आवेदन पत्र सहित अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेंगे।
- 13. आवेदन पत्र भरने के संबंध में निर्देश**
- अत्यंत महत्वपूर्ण** : आवेदन पत्र भरने के पहले समस्त निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आवेदन पत्र में दी गई जानकारी यथा जन्मतिथि, जाति, विकलांगता, विषय, परीक्षा केंद्र की जानकारी में किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
1. **कम्प्यूटराईज्ड आवेदन पत्र एक पृष्ठ का है। इस पर पिन से कुछ भी संलग्न न करें। आवेदन का पिछला पृष्ठ कोरा है इस पर कुछ भी न लिखें अन्यथा आपका आवेदन स्केन नहीं हो सकेगा।**

2. आवेदन पत्र सफाई से काले स्याही के बाल पेन से ही भरें, काटपीट/ओवरड्राईटिंग न करें। इसे गिला या गंद ना करें।
3. कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें, अधूरा भरा आवेदन पत्र आयोग द्वारा अमान्य कर दिया जायेगा।
4. समस्त जानकारी सही व स्पष्ट दें। जानकारी गलत पाई जाने पर आयोग द्वारा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी।
5. आवेदन पत्र को दो ही मांड दें।
6. फोटो निर्धारित स्थान पर ही चिपकाएं। फोटो पासपोर्ट आकार का सामने से खींचा हुआ हो, जिसमें दोनों कान दिखाई देते हों। फोटो पर स्वयं हस्ताक्षर करें। स्टेपल या पिन न करें। फोटोग्राफ की फोटो स्टेट प्रति स्वीकार नहीं है।
7. फोटो के समक्ष दिये वाक्स में हस्ताक्षर अनिवार्यतः करें।
8. घोषणा पर हस्ताक्षर हिन्दी व अंग्रेजी दोनों में करें। हस्ताक्षर के अभाव में आवेदन पत्र आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा।
9. स्वयं का पता लिखा छः रुपये के टिकिट लगे एक पोस्टकार्ड के साथ निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट स्टेपल करें तथा इसे आवेदन पत्र के साथ लिफाफे में डालें। पोस्टकार्ड पर आवेदक को आवेदन प्राप्ति की सूचना दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ पिन से कुछ न लगाएँ अन्यथा आवेदन स्केन नहीं हो सकेगा।
10. जन्मतिथि अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में ही अंकित करें अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0।
11. श्रेणी भरना अनिवार्य है। इसके अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
12. प्रारंभिक परीक्षा का वैकल्पिक विषय, विज्ञापन देखकर ही, सही कोड क्रमांक द्वारा भरें। भरा गया विषय कोड क्रमांक बदला नहीं जायेगा।
13. इसी प्रकार प्रारंभिक परीक्षा का केंद्र कोड क्रमांक विज्ञापन देखकर ही सही कोड क्रमांक भरें। आयोग द्वारा आवंटित केंद्र बदला नहीं जायेगा।
- 14. अन्य निर्देश/जानकारी :-**
1. प्रारंभिक परीक्षा में आवेदक का प्रवेश पूर्णतः प्राथमिक है क्योंकि आयोग आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र यथा शैक्षणिक योग्यता/जन्म तिथि/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/मूल निवासी प्रमाण-पत्र/विकलांगता/भूतपूर्व सैनिक होने के प्रमाण-पत्र नहीं मांग रहा है अतः आवेदन पत्र के साथ कोई भी प्रमाण-पत्र संलग्न न करें। समस्त प्रमाण-पत्र मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ प्राप्त कर परीक्षण उपरांत आवेदक की अर्हता (eligibility) की जांच की जाएगी।
2. प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के लिये केवल अनुसूचक (Screening) परीक्षा होती है। उम्मीदवारों के अंतिम चयन में इस परीक्षा में प्राप्तों को नहीं जोड़ा जाएगा।
3. प्रारंभिक परीक्षा की अंकसूचियां जारी नहीं की जाती हैं।
4. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
5. आवेदक को आयोग से पत्राचार करते समय अपना पूरा नाम, श्रेणी, परीक्षा का नाम, पंजीयन क्रमांक, अनुक्रमांक परीक्षा केंद्र तथा पूर्ण पता लिखना चाहिए।
6. यदि आवेदक के पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना आयोग कार्यालय को तत्काल भेजी जाये, यद्यपि आयोग पता परिवर्तन का पूरा प्रयास करता है किन्तु इस मामले में कोई उत्तरदायित्व नहीं ले सकता।
7. परीक्षा के समय परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के अनुशासनिक व प्रशासनिक नियंत्रण में रहेंगे। अनुचित साधन का उपयोग या प्रयास करना, दी गई उत्तरपुस्तिका एवं प्रश्न पत्र को क्षति पहुंचाना, धोस डपट देना, शारीरिक क्षति पहुंचाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/अधिकारियों के निर्देशों की अवमानना करना, दुर्व्यवहार, अपशब्दों का उपयोग, अशिक्षित आचरण आदि को दण्डनीय माना जायेगा।
8. **पहचान चिन्ह-** उत्तरपुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। यदि उम्मीदवार उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर अनुक्रमांक या अपना नाम लिखेंगे तो उसे पहचान चिन्ह बनाया माना जायेगा। ऐसे पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को नोटिस देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी उम्मीदवारी तथा परीक्षा निरस्त की जा सकेगी।
9. परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन या अन्य संचारी यंत्र बंदित है।
10. उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि सभी स्थानों अर्थात् उनके आवेदन पत्र, परीक्षा हॉल में उपस्थिति सूची पर तथा आयोग के साथ किये गये समस्त पत्र व्यवहार में उनके द्वारा किये गये हस्ताक्षर एक समान होने चाहिए। इनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिये यदि विभिन्न स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षरों में कोई अंतर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
11. आवेदक की अर्हता/पात्रता देखिए परीक्षा नियम 6, 8, 9, 10 एवं 14।
- दंड/शक्ति देखिये परीक्षा नियम 16**
- (01) विशेष सूचना -/स्केलिंग पद्धति (Scaling method) के बारे में जानकारी निम्नानुसार है -**
- राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2008 एवं मुख्य परीक्षा 2008 के ऐच्छिक विषयों में स्केलिंग पद्धति लागू की जायेगी। इसमें आवेदकों द्वारा उनके ऐच्छिक विषय में प्राप्त अंकों को स्केल (Scale) किया जायेगा। इस हेतु निम्न सूत्र का उपयोग किया जायेगा :-
- सूत्र स्केल अंक = $M + (X - m) S/s$
- यहां M = राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के विभिन्न 23 ऐच्छिक विषयों के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का औसत/सामान्य माध्य (overall mean)
- X = आवेदक द्वारा किसी ऐच्छिक विषय में प्राप्त बगैर स्केल किये गये अंक (raw marks)
- m = किसी ऐच्छिक विषय में प्राप्त बगैर स्केल किये गये अंकों (raw marks) का माध्य (mean)
- S = सभी 23 ऐच्छिक विषयों के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का मानक विचलन (Standard Deviation)
- s = किसी ऐच्छिक विषय के बगैर स्केल किये अंकों (raw marks) का मानक विचलन (Standard Deviation)
- (02) अनिवार्य विषय के अंकों का स्केलिंग नहीं होगा।** अनिवार्य विषय के वास्तविक प्राप्तांकों को ऐच्छिक विषय के स्केल अंकों के साथ जोड़कर जो कुल अंक प्राप्त होंगे, उनके आधार पर ही प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। इस प्रावीण्य सूची में विभिन्न श्रेणी के विज्ञापित पदों के 15 गुने तथा अंतिम चयनित आवेदक के समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को सम्मिलित किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में दोनों ऐच्छिक विषयों के चारों प्रश्नपत्रों के लिये भी अलग-अलग प्रश्नपत्रों के लिये स्केलिंग पद्धति अपनाकर जो अंक प्राप्त होंगे उन अंकों को अनिवार्य विषय के अंक के साथ जोड़कर प्राप्त अंक के योग के आधार पर प्रावीण्य सूची बनाई जाएगी इस प्रकार बनी प्रावीण्य सूची में विभिन्न श्रेणी के विज्ञापित पदों के संख्या के 3 गुने तथा अंतिम चयनित आवेदक के समान अंक पाने वाले आवेदक साक्षात्कार के लिये अर्ह घोषित किए जाएंगे।
- 15. परीक्षा एवं आवेदन शुल्क-**
- आवेदन शुल्क का ड्राफ्ट स्वयं के पता लिखे रुपये 6/- के डाक टिकिट लगे पोस्टकार्ड के साथ संलग्न कर आवेदन पत्र के लिफाफे में रखें।
- (अ) मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक को मध्यप्रदेश के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आते हैं के लिये आवेदन शुल्क रुपये 30/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 60/- कुल रुपये = 90/- देय होंगे।
- (ब) विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क रुपये 30/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 60/- कुल रुपये 90/- देय होंगे।
- (स) शेष सभी श्रेणी के एवं मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिये आवेदन शुल्क रुपये 60/- तथा परीक्षा शुल्क रुपये 120/- कुल रुपये = 180/- देय होंगे।

उपर्युक्त शुल्क आयोग द्वारा केवल बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार किया जायेगा अन्य प्रकार से भेजे गये शुल्क अमान्य किया जाएगा तथा ऐसे आवेदन पत्र निरस्त किये जाएंगे।
बैंक ड्राफ्ट- सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर के नाम से बनवाकर भेजा जावे। यह बैंक ड्राफ्ट किसी भी अधिसूचित बैंक द्वारा जारी किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट इन्दौर पर देय (Payable) होना चाहिए। आवेदक बैंक ड्राफ्ट के पीछे अपना पुरा नाम, आवेदन पत्र क्रमांक, पता तथा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2008 अवश्य लिखें।

अत्यंत आवश्यक- बैंक ड्राफ्ट भेजने के पहले उसका भली भांति परीक्षण कर कृपया संतुष्टि कर लें कि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि या कमी नहीं है। त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण बैंक ड्राफ्ट पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

(मुख्य परीक्षा हेतु योग्य आवेदकों को परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा।)

टीप (एक)- आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्नानुसार परिस्थितियों में ही आवेदक को वापिस किया जायेगा-

01. आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा
 02. किसी कारण से परीक्षा या चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

(दो) निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों के शुल्क नहीं लौटाये जायेंगे। इसलिये आवेदकों के लिये यह सुझाव है कि अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा करने के बजाए उससे काफी पहले आवेदन पत्र भेजना उसके हित में होगा। बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट की तिथि से आवेदन पत्र अंतिम तिथि के पूर्व पहुंचा है, की त्रुटि नहीं की जायेगी। आवेदन पत्र मय बैंक ड्राफ्ट के अंतिम तिथि की समय सीमा तक आयोग कार्यालय में पहुंचना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण- निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ भेजना आवश्यक है। इसके अभाव में अथवा बैंक ड्राफ्ट में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवेदन पत्र आयोग द्वारा मान्य नहीं किया जायेगा।

16. आवेदन की अंतिम तिथि-

आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2008 निर्धारित है। अंतिम तिथि तक समय के भीतर आवेदन पत्र आयोग के कार्यालय में पहुंचाने का उत्तरदायित्व आवेदक का है। (परीक्षा नियम 17 देखें) विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये जायेंगे तथा ऐसे आवेदक प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता अर्जित नहीं करेंगे। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा। विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ प्राप्त शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। अतः आवेदक के हित में है कि वे अंतिम तिथि के पर्याप्त समय पूर्व आवेदन आयोग कार्यालय को प्रस्तुत कर दें। आवेदक आवेदन पत्र ड्राक से भेज सकते हैं या आयोग कार्यालय के काउंटर पर भी कार्यालयीन समय प्रातः 10.30 से सायं 5.30 तक में प्रत्येक कार्य दिवस को अंतिम तिथि तक दे सकते हैं, जिसकी रसीद उसी समय दी जायेगी। **ड्राक/कोरियर** से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अंतिम तिथि को सायं 5.30 बजे तक आयोग कार्यालय में प्राप्त होने पर ही अंतिम तिथि तक प्राप्त हुए माने जायेंगे। **ड्राक/कोरियर** में विलंब/गुम होने के लिये आयोग उत्तरदायी नहीं रहेगा। एक आवेदक से एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं लिये जाएंगे। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने पर आवेदक के सभी आवेदन पत्र निरस्त किये जाएंगे।

17. नियोक्ता की अनापत्ति-

सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हो या सरकारी उपक्रम में हो या किसी प्रकार से अन्य संगठनों में हो या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हो, अपने आवेदन पत्र आयोग को सौंपे भेजने चाहिये अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन पत्र को समयवाधित (Time Barred) माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा भले ही वह नियोक्ता को आखरी तारीख से पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप में काम कर रहे हों या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, (जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है) या जो सार्वजनिक उद्यमों में कार्यरत है, उनको यह परिचय (Under taking) (जैसा कि आवेदन पत्र की घोषणा में छपा है) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त पद के लिये आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

18. अर्हताएं-

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिये दोषी पाया हो-

- जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राय किया हो; या
- प्रतिरूपण किया हो; या
- किसी व्यक्ति के प्रतिरूपण कराया हो; या
- कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिनमें चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या
- परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
- परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
- परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
- उनके प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
- परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार, अपराधिक अभियोजन के लिये उसे दायी ठहराने के अलावा-
 (क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरह ठहराया जाने का दायी हो सकेगा और/या
 (ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-
 (एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से;
 (दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और
 (ग) यदि वह शासन के अधीन नियोजन से ही सेवा में हो तो उपयुक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी बशर्ते इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि-
 (एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
 (दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञाप की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार न किया गया हो।

19. प्रवेश पत्र-

- किसी भी उम्मीदवार को प्रारंभिक परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र न हो।

- उन सभी आवेदकों को जिनके पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि अर्थात् 25.09.2008 को सायंकाल 5.30 बजे तक पहुंच जायेंगे उन्हें प्रवेश पत्र यू.पी.सी. ड्राक से भेजा जायेगा।
- परीक्षा तिथि के एक सप्ताह पूर्व तक यदि आवेदक को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हो तो आयोग कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करें। आयोग कार्यालय से उन्हें रुपये 10/- शुल्क जमा करने पर प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति दी जायेगी। परीक्षा केन्द्र की जानकारी किसी भी स्थिति में टेलीफोन पर नहीं दी जायेगी।
- विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदकों के नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं होंगे।
- यदि किसी आवेदक का नाम नॉमिनल रोल में सम्मिलित नहीं है परन्तु उसे आयोग की ओर से प्रवेश पत्र प्राप्त हो चुका है तो वह केन्द्राध्यक्ष से मिलकर अपना प्रवेश पत्र प्रस्तुत करें। केन्द्राध्यक्ष संतुष्ट होने पर उसे उसी केन्द्र पर परीक्षा में सम्मिलित करेंगे।
- आयोग द्वारा अंतिम चयन सूची जारी किये जाने के पश्चात् परीक्षा तथा साक्षात्कार की संयुक्त अंकसूची आवेदकों को सामान्य ड्राक से उनके आवेदन पत्र में दर्शाए वर्तमान पते पर भेजी जाती है आयोग द्वारा मान्य पदचान चिन्ह एवं अनुसूचित साधन प्रयोग करने वाले आवेदकों की परीक्षा निरस्त की जाएगी। अतः ऐसे आवेदकों को अंकसूची नहीं भेजी जाएगी, किन्तु यदि किसी आवेदक को आयोग द्वारा भेजी गई अंकसूची किसी कारणवश प्राप्त नहीं होती है तो अंकसूची की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) प्राप्त करने के लिये रजिस्टर्ड ड्राक से भेजे जाने के लिये पर्याप्त ड्राक टिकट लगा और स्वयं का पता लिखा लिफाफा तथा रुपये 25/- रखांकित बैंक ड्राफ्ट सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के नाम से भेजें। अंकसूची की द्वितीय प्रति उन्हीं आवेदकों को भेजी जाएगी जिनके आवेदन चयन परिणाम जारी होने के एक वर्ष के भीतर प्राप्त होंगे।
- विज्ञापित पदों का अग्रमान्यता पत्रक साक्षात्कार के समय आवेदकों से प्राप्त किया जाता है तथा इसी अग्रमान्यता पत्रक के अनुसार गुणानुक्रम में आवेदकों का चयन किया जाता है। आवेदकों द्वारा अग्रमान्यता पत्रक प्रस्तुत करने के पश्चात उसमें परिवर्तन/संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही वे इस संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- विकलांग/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदक मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में यथास्थान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र संलग्न करने के साथ ही प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के लिफाफे पर विकलांग/भूतपूर्व सैनिक स्पष्ट उल्लेख करें।
- अभ्यर्थक के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिये जो पद आरक्षित किये गये हैं ऐसे आवेदक जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हों (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित आवेदक मान्य नहीं होंगे) यदि वे भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत आरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं वे अभिवचन पत्र प्रस्तुत करें तथा सेवानिवृत्ति का प्रमाण-पत्र/डिचार्ज सर्टिफिकेट (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में) अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। नमूना निम्नानुसार है :-

अभिवचन पत्र (Undertaking) का प्रारूप

मैंने राज्य सेवा परीक्षा-2008 के विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2008/11-08-2008 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया है तथा मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पद के विरुद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर.....

नाम.....

(उक्त अभिवचन पत्र एवं प्रमाण-पत्र केवल मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)

- दृष्टिहीन तथा विकलांग आवेदकों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.ओ./सिविल सर्जन) का नवीनतम चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अशासकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के लिये प्रत्येक प्रश्नपत्रों के लिये क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। दृष्टिहीन आवेदकों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु आयोग कार्यालय में परीक्षा से कम से कम 20 दिन पूर्व सम्पर्क करें, इसके लिये स्वयं उपस्थित होना आवश्यक नहीं है परीक्षा केन्द्र पर कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं की जाएगी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के लिये अधिकृत हैं अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा। विवाहित महिलाओं का अपने पिता के नाम का लगा जाति प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र हेतु पिता का नाम लगा जाति प्रमाण पत्र के साथ ही विवाह के पश्चात क्रीमिलेयर के अंतर्गत न आने के प्रमाणन हेतु अपने पति के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र भी संलग्न करें। (प्रमाण-पत्र केवल मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें)
- यात्रा व्यय का भुगतान-**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दृष्टिहीन विकलांग आवेदक अपने निवास स्थान के निकटतम परीक्षा केन्द्र को ही भरें। उन्हीं उनके निवास से निकटतम परीक्षा केन्द्र तक का ही यात्रा व्यय देय होगा। मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी को जो कहीं सेवारत न हो तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दृष्टिहीन विकलांग को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होंगे। अतः वे मध्यप्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र/दृष्टिहीन विकलांगता प्रमाण-पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें तभी उन्हें यात्रा व्यय दिया जायेगा।

आवेदक आवेदन पत्र भेजते समय लिफाफे के ऊपर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2008 स्पष्ट रूप से लिखें और लिफाफे पर पता लिखने के स्थान पर विज्ञापन के अंत में दिया गया कूपन चिपकायें। इस विवरण के बगैर प्राप्त लिफाफे में प्राप्त आवेदन पत्रों पर आयोग द्वारा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी। आवेदन पत्र निम्न पते पर भेजें :-

**सचिव,
 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
 रेसीडेन्सी क्षेत्र, इंदौर-452001**

सूचना- निम्नांकित कूपन को काटकर या इसकी फोटो कापी आवेदन पत्र के लिफाफे पर चिपकायें।

03/परीक्षा/2008/11-08-2008
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2008

प्रति,
 सचिव,
 मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
 रेसीडेन्सी क्षेत्र,
 इन्दौर-452001

परिशिष्ट-पाँच

आप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली उत्तरपुस्तिकाओं के उपयोग संबंधी निर्देश

टीप - उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन आप्टिकल स्कैनर/कम्प्यूटर द्वारा किया जावेगा अतः उत्तरपुस्तिका का उपयोग नीचे बताई बातों पर आवश्यक ध्यान रखते हुए अत्यन्त सावधानीपूर्वक करें।

1. आप अपने साथ परीक्षा-कक्ष में कम से कम एक बाल पेन, दो एच.बी. पेन्सिल एवं एक पेन्सिल शार्पनर व रबर अवश्य लाएँ।
2. गोले भरने के लिये केवल एच.बी. पेन्सिल का ही उपयोग करें। अन्य किसी पेन्सिल या स्याही या बाल पेन का उपयोग न करें। गोलों को पूरी तरह गहरा काला करें, अधूरा, अस्पष्ट या हल्का काला करने पर उत्तरपुस्तिका स्कैनर द्वारा नहीं जांची जा सकेगी।
3. उत्तरपुस्तिका पर किसी प्रकार का रफकार्य न किया जाए। इस कार्य के लिए प्रश्नपत्र पर अलग से स्थान निर्धारित है।
4. उत्तरपुस्तिका अत्यन्त सावधानीपूर्वक रखें। उसे किसी तरह से मोड़ा या काटा न जाए और किसी प्रकार से गंदी न की जाए अन्यथा कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर उसे रद्द कर देगा।
5. उत्तर देना प्रारंभ करने के पहले सुनिश्चित कर लें कि उत्तरपुस्तिका पर सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से की गई हैं।

6. आपको प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के सामने का केवल एक ही गोला काला करना है। एक से अधिक गोले को काला करने पर या गोलों को हल्का, अस्पष्ट या अधूरा काला करने पर या किसी अन्य पेन्सिल या स्याही से काला करने या किसी अन्य तरीके से कोई निशान जैसे (✓) या (X) लगाने पर उत्तरपुस्तिका कम्प्यूटर/आप्टिकल स्कैनर द्वारा नहीं पढ़ी जायेगी।

7. उत्तरपुस्तिका पर अंकन के लिये - सामान्य निर्देश -

(अ) प्रश्नों के उत्तर : उत्तरपुस्तिका पर यथास्थान उत्तर अंकित करने के अनुदेश दिए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें। प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उत्तरपुस्तिका पर आवश्यक संख्या लिखी है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने क्रमशः 4 गोले ए.बी.सी.डी. बने हैं। प्रश्नपत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर ए.बी.सी.डी. दिए हैं। इनमें से केवल एक उत्तर सही है, सही उत्तर चुनकर संबंधित प्रश्न क्रमांक के नीचे/सामने बने गोलों में से केवल एक गोला एच.बी. पेन्सिल से गहरा काला करें।

(ब) उत्तरपुस्तिका के सामने के पृष्ठ पर अपना नाम, अनुक्रमांक, जन्मतिथि, परीक्षा तिथि, एंजिक विषय का कोड आदि भरने के लिये बने खानों में प्रविष्टि के लिये बाल पेन का उपयोग करें। प्रश्न पत्र ABCD Set में दिए जायेंगे। अपने सेंट का कोड क्रमांक सावधानी से निर्धारित स्थान पर भरें।

(स) हस्ताक्षर - उत्तरपुस्तिका पर निर्धारित स्थान पर बाल पेन से हस्ताक्षर करें। **रोल नं. चित्र 1**

(द) उत्तरपुस्तिका के पीछे के पृष्ठ पर अनुक्रमांक, जन्मतिथि, श्रेणी, एंजिक विषय संकेतांक के कॉलम के गोलों में प्रविष्टि करने के लिये एच.बी. पेन्सिल का उपयोग कर संबंधित क्रमांक के गोले को काला करें। प्रश्न पत्र के Set कोड के गोले को अत्यन्त सावधानी से काला करें। इसी काले किए गए कोड (गोले) के आधार पर उत्तरशीट का मूल्यांकन किया जायेगा।

8. रोल नं. की प्रविष्टि (चित्र एक)

रोल नं. के खाने में बायें से दायें 1 से 6 तक स्तम्भ हैं। पहला स्तम्भ लाख का, दूसरा स्तम्भ दस हजार का, तीसरा स्तम्भ हजार का, चौथा स्तम्भ सैकड़ का, पांचवा स्तम्भ दहाई का एवं छठा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 9 अंक लिखे हुए गोले हैं। इन्हीं में आपको अपने रोल नं. भरना है। उदाहरणार्थ यदि आपका रोल नं. 684021 है तो आप पहले ऊपर की लाईन में चौकोर खानों में दर्शाये अनुसार रोल नं. पेन्सिल से लिखें तत्पश्चात पहले स्तम्भ के गोले क्रमांक 6, दूसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 8, तीसरे स्तम्भ के गोले क्रमांक 4, चौथे स्तम्भ के गोले क्रमांक 0, पांचवें स्तम्भ के गोले क्रमांक 2 तथा छठे स्तम्भ के गोले क्रमांक 1 को पेन्सिल से गहरा काला करें।

9. जन्मतिथि की प्रविष्टि (चित्र दो)

जन्मतिथि के खाने में दिनांक (DD), मास (MON) तथा वर्ष (YY) इस तरह तीन कॉलम बने हैं। आप अपनी जन्मतिथि के अनुसार उपयुक्त खानों को भरें। जैसे आपकी जन्मतिथि 15 सितम्बर 71 है। तो आप दिनांक (DD) के कॉलम में दहाई के खाने में 1 का तथा इकाई के खाने में 5 का गोला गहरा काला करेंगे। मास के कॉलम में Sep. के सामने का गोला गहरा काला करेंगे तथा वर्ष के कॉलम में दहाई के खाने में 7 का तथा इकाई के कॉलम में 1 का गोला गहरा काला करेंगे।

10. श्रेणी की प्रविष्टि (चित्र तीन)

इस खाने में 2 स्तम्भ दिए गए हैं, पहला स्तम्भ दहाई, दूसरा स्तम्भ इकाई का है। इनके नीचे 0 से 4 तक के अंक दिए गए हैं। आप अपनी श्रेणी कोड नं. के अनुसार उपयुक्त गोलों को एच.बी. पेन्सिल से गहरा काला करें। जैसे - यदि आपकी श्रेणी 02 है तो दहाई के कॉलम में 0 तथा इकाई के कॉलम में 2 को काला करें।

11. एंजिक विषय कोड क्र. की प्रविष्टि (चित्र चार) का तरीका उदाहरणार्थ यदि आपका एंजिक विषय कोड क्रमांक 02 है तो दहाई के कॉलम में 0 को पेन्सिल से गहरा काला करें तथा इकाई के दूसरे कॉलम में 2 को काला करें।

विशेष सूचना

प्रवेश पत्र की प्रविष्टियों में त्रुटियाँ

आवेदक उसे प्राप्त प्रवेश पत्र में की गई प्रविष्टियों की जांच करें तथा किसी प्रकार की त्रुटि हो तो वे त्रुटि के निराकरण के लिये परीक्षा नियंत्रक, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के नाम से निम्नलिखित विन्दुओं का समावेश करते हुए एक आवेदन पत्र दें।

- (1) त्रुटि का प्रकार (2) त्रुटि में वांछित सुधार (3) आवेदक का नाम (4) पिता/पति का नाम (5) पता (6) जन्मतिथि (7) अनुक्रमांक (8) प्रविष्टि क्रमांक (9) केन्द्र का नाम।

परीक्षार्थियों हेतु निर्देश एवं अनुदेश राज्य सेवा परीक्षा

निम्नलिखित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित हों। निर्देशों एवं अनुदेशों का पालन न करने पर परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भागी होगा, जो आयोग निर्धारित करे।

एक - प्रवेश -

1. परीक्षा में परीक्षार्थी को दिया गया प्रवेश नितांत प्रावधिक है।
2. परीक्षा नियत समय पर प्रारंभ होगी। केन्द्राध्यक्ष की वही का समय ही प्रामाणिक मानकर परीक्षा संचालन किया जायेगा। नियत समय के 15 मिनट पश्चात् आने पर परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
3. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र हमेशा अपने साथ रखें।
4. अर्हता सुनिश्चित करने का पूर्ण दायित्व परीक्षार्थियों का स्वयं का है वे आश्रित हों कि नियमों के अधीन वे

परीक्षा में प्रवेश की अर्हता रखते हैं। यदि ऐसा न हो तो वे परीक्षा में न बैठें।

दो - निर्गमन -

1. सामान्यतः परीक्षार्थी को परीक्षा की अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। वीक्षक से विशेष अनुमति लेकर उनकी निगरानी में ही बाहर जाया जा सकेगा।
2. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् एक घंटे तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी। भले ही उसने प्रश्नपत्र हल कर लिया हो।
3. प्रश्नपत्र हल करने के पश्चात् केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक द्वारा उत्तरपुस्तिका एकत्रित किये जाने के उपरांत ही परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ेगा। उत्तरपुस्तिका सहित कक्ष से बाहर जाना अनुचित साधन प्रयोग के समान दंडनीय है।
4. निर्धारित समय समाप्त होने के उपरांत किसी भी परीक्षार्थी को अतिरिक्त समय प्रदान नहीं किया जायेगा। केवल दस 'अ' को छोड़कर। अतः निर्धारित समय के उपरांत कोई भी परीक्षार्थी न तो लिखे उत्तरों में कोई संशोधन करेगा और न ही शेष रहे प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेगा।

तीन - नाम और अनुक्रमांक -

उत्तरपुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना नाम और अनुक्रमांक लिखें। उत्तरपुस्तिका के अन्य किसी भी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही पता अंकित करें। उत्तरपुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना वर्जित है।

चार - अनुचित साधन -

परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट पर सीट के निकट, उनके पास कंपास, स्केल या पाकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज आदि नहीं हैं। वे अनुचित साधन के प्रयोग से बचें।

परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दंडनीय है, परीक्षा भवन में अपने साथ कोई भी लिखित या कोरा कागज, पुस्तक, वस्तु, टीप आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में सम्मिलित माना जायेगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी उत्तरपुस्तिका से नकल करना अथवा अपनी उत्तरपुस्तिका से अन्य परीक्षार्थी को नकल कराना, किसी अन्य परीक्षार्थी से उत्तरपुस्तिका बदलाना, परीक्षा भवन में बोलना अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी को किसी प्रश्न का उत्तर बताना अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से किसी प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्नपत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जायेगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा, उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी एसी अवधि के लिये जो आयोग उचित समझे आयोग की सभी परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों से वंचित किये जाने का दंड भी दिया जा सकेगा।

पांच - प्रश्न पत्र सम्बन्धित शिकायत -

यदि किसी परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र से सम्बन्धित किसी प्रकार की शिकायत हो तो उसे लिखित रूप से केन्द्राध्यक्ष के माध्यम से या अलग से परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा तिथि से 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री पोस्ट से भेज सकेगा। परीक्षा तिथि के 15 दिन के भीतर आयोग कार्यालय में प्राप्त शिकायतों पर ही विचार किया जायेगा।

छह - उत्तर शीट का लौटाना -

परीक्षा के उपरांत उत्तरपुस्तिका वीक्षक को सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वारा किसी भी स्थिति में उत्तरपुस्तिका परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना अथवा परीक्षा के उपरांत उसे वापस न दिया जाना कदाचरण माना जावेगा और इसके लिये उसे उस तरह दण्डित किया जावेगा, जिस तरह अनुचित साधनों के प्रयोग से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

सात - उत्तरपुस्तिका पर अनुक्रमांक अंकन व अन्य प्रविष्टियाँ -

1. उत्तरपुस्तिका पर नियत स्थान पर परीक्षार्थी अपना सही नाम, और अनुक्रमांक शब्दों एवं अंकों में अंकित करें तथा परीक्षा का विषय कोड भरें। साथ ही प्रश्नपत्र सेंट कोड भी अत्यन्त सावधानी से भरें।
2. उत्तरपुस्तिका पर कोई धाग/चिन्ह न लगने पाये, इस बात की सतर्कता बरतें।

आठ - प्रश्नपत्र पर अंकन -

परीक्षार्थी प्रश्नपत्र पर भी अनुक्रमांक लिखें तथा रफ कार्य प्रश्नपत्र में दिये गये पृष्ठ पर ही करें इसके अतिरिक्त प्रश्नपत्र पर कुछ भी लिखना, प्रश्नपत्र की नकल करना या उसकी प्रति बनाना निषिद्ध होकर अनुचित साधन प्रयोग के समान दण्डनीय है।

नौ - उपस्थिति पत्रक -

प्रत्येक प्रश्नपत्र के समय परीक्षा कक्ष में वीक्षक के समक्ष परीक्षार्थी तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। यह हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप हो।

दस - सहलेखक -

(अ) केवल दृष्टिहीन आवेदकों को प्रारंभिक परीक्षा में 20 मिनट एवं मुख्य परीक्षा में 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

(ब) ऐसे परीक्षार्थी जिनके दोनों हाथ नहीं हैं या अपने दाएं-बाएं हाथों का उपयोग नहीं कर सकते हैं उन्हें केवल सहायक लेखक की सुविधा दी जायेगी, समय में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं दी जायेगी। सहायक लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु परीक्षार्थी परीक्षा के 15 दिवस पूर्व आयोग से संपर्क कर पूर्व अनुमति प्राप्त करें। विशेष परिस्थितियों में ही केन्द्राध्यक्ष द्वारा अनुमति दी जा सकेगी।

नोट - विकलांग आवेदकों के लिये सी.एम.ओ. (मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी) या सिविल सर्जन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रायवेट डॉक्टर का प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य नियम यथावत रहेंगे।

ग्यारह - विविध -

1. परीक्षार्थी सभी विषयों के प्रश्नपत्रों में (इसमें सामान्य अध्ययन सम्मिलित है) साधारण (Non Scientific) केलक्युलेटर का उपयोग कर सकेंगे। परीक्षार्थी आपस में केलक्युलेटर की अदला बदली नहीं करेंगे।
2. किसी भी इंजीनियरिंग विषय के किसी भी प्रश्नपत्र में कोई भी चार्ट या टेबल (मॉडल चार्ट या स्टीम टेबल सहित) परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।
3. परीक्षार्थियों को किसी भी प्रश्नपत्र में ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टैन्सिल उपलब्ध नहीं कराया जायेगा और परीक्षार्थी स्वयं भी ग्राफ पेपर या नक्शा/स्टैन्सिल परीक्षा भवन में नहीं लायेंगे।
4. परीक्षार्थियों को अपने साथ डिजिटल डायरी, वॉच, केलक्युलेटर, सेलुलर फोन और पेजर लाना कतई मना है।

बारह - परीक्षार्थी उत्तरपुस्तिका एवं प्रश्नपत्रों पर दी गई समस्त सूचनाएं निर्देश एवं अनुदेश ध्यानपूर्वक पढ़ें व उनका पालन करें। वे सतर्कता से इस उत्तरदायित्व को वहन करें।

तेरह - अनुशासन व शालीनता -

1. परीक्षा कक्ष में धूम्रपान करना अथवा अशिक्षित अनर्गल, वार्तालाप करना पूर्णतः निषिद्ध व दण्डनीय है।
 2. परीक्षा परिसर में एवं भवन के अन्दर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
 3. परीक्षा भवन के फनीचर अथवा केन्द्र पर की गई अन्य व्यवस्था को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाना चाहिए। यह दण्डनीय है।
 4. यदि परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा अशिक्षित उद्दन्त आचरण करता है अथवा अनुचित या अशोभनीय या अशालीन व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा। उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी तथा वह ऐसे अन्य दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे। केन्द्राध्यक्षों को निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे परीक्षार्थियों के नाम गोपनीय ढंग से आयोग को सूचित किये जायें।
- परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष के पूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में होगा।
- सौरह -** परीक्षार्थी को एक बार आवंटित परीक्षा संस्था या परीक्षा केन्द्र में प्रशासकीय सुविधा के अनुसार यथा आवश्यकता, यथा समय आयोग द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा। यह परिवर्तन परीक्षा के दौरान ही किया जा सकेगा।